

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 31.08.2016

आज्ञा


राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला जैसलमेर हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- 1- श्री मदन सिंह सोढा, एडवोकेट, नि. पोछीणा पुलिस थाना सम, जिला जैसलमेर। अध्यक्ष
- 2- श्री मोहन सिंह, रिटायर्ड उप अधीक्षक पुलिस इंटलीजेन्स ब्यूरो, छडीदारा पाडा, जैसलमेर। सदस्य
- 3- श्री खेताराम पुत्र श्री जीतू राम मेघवाल, निवासी जैमला, पुलिस थाना सांकडा, जिला जैसलमेर। सदस्य
- 4- श्री किरण कुंवर पत्नि श्री मदन सिंह, निवासी सुल्ताना, पुलिस थाना मोहनगढ, जिला जैसलमेर। सदस्य
- 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जिला जैसलमेर। सदस्य सचिव

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।


समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होंगी।

आज्ञा से,

  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
- 7- पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- रक्षित पत्रावली।

  
31/8/2016  
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस